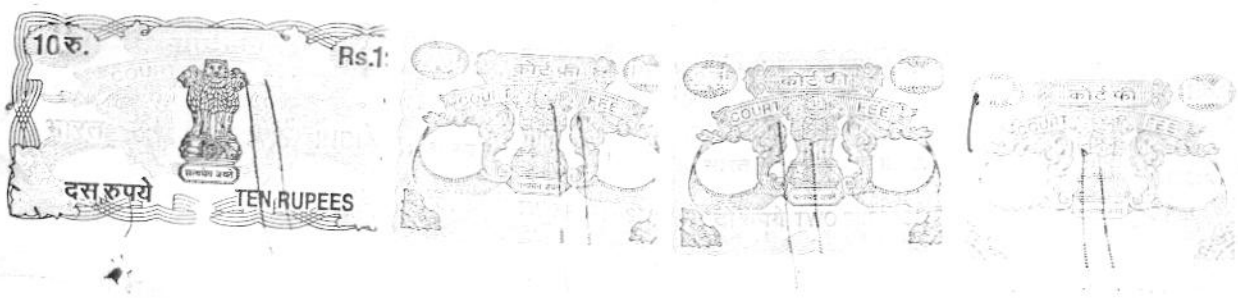

न्यायालय : श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(35) निगरानी प्रकरण क्रमांक– III / 2014 . R 2185-III/14

1. मेवाराम शर्मा तनय श्री प्रहलाद शर्मा,
निवासी–तिलौंहा, हाल निवासी–छतरपुर,

---निगरानीकर्ता

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह तनय श्री प्यारेलाल ठाकुर, निवासी–तिलौंहा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. म. प्र. शासन

---गैरनिगरानीकर्ता

दिनांक 21/7/14 को रजनी वशिष्ठ शर्मा (एडवोकेट) ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत 21.7.14

21/7/14

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 230 / अ–6 / अ / स्वप्रेरणा निगरानी / 79–80 में पारित आदेश दिनांक 05 / 07 / 1982 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी अंदर अवधि निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, अनावेदक लक्ष्मन सिंह तनय श्री प्यारेलाल, निवासी–तिलौंहा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर की भूमि खसरा नंबर–1692, 1695 / 1, 1714 / 1, 1713 कुल किता 4 एकत्र रकवा 10.230 हैक्टेयर भूमि जो नवीन बंदोवस्त में बदलकर खसना नंबर–1658, 1695 / 1, 1659, 1714 / 1, 1711 हो गये हैं तथा उक्त भूमि 1939–40 में खसरा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2185-तीन/2014 जिला छतरपुर मेवाराम विरूद्ध लक्ष्मण व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक मेवाराम की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । अनावेदक लक्ष्मण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 230/अ-6/अ/स्वप्रेरणा निगरानी/1979-80 में पारित आदेश दिनांक 05-07-1982 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-07-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण	

21.12.18

आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.12.18
सदस्य